Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल के परियोजना अभियन्ता, विद्युत (वरिष्ठ) को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय स्थित जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये राजस्थान आवासन मंडल के परियोजना अभियन्ता, विद्युत (वरिष्ठ) विजय कुमार को 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि मुख्यालय की जयपुर देहात ईकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि राजस्थान आवासन मंडल में आवेदित टेण्डर की टेक्निकल बिड की जाँच उसके पक्ष में करने की एवज विजय कुमार परियोजना अभियन्ता, विद्युत (वरिष्ठ) राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नीरज भारद्वाज एवं उनकी टीम के द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विजय कुमार पुत्र श्री छगन लाल निवासी के–35, शिव मार्ग, नारायण विहार, जयपर हाल परियोजना अभियन्ता, विद्युत (वरिष्ठ) राजस्थान आवासन मंडल जयपुर को परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।